Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ पुलिस थाना रानौली जिला सीकर में हैड कानिस्टेबल 15,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा गया।

जयपुर, दिनांक 03 अक्टूबर, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **रामनिवास, हैड कानिस्टेबल, बेल्ट न० 15, पुलिस थाना रानौली, जिला सीकर** को 15,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के भतीजे के विरुद्ध पुलिस थाना रानोली में गुमशुदा (महिला) की गुमशुदगी दर्ज थी जिसमे आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करने की एवज में 20,000/- रुपये की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा था। प्राप्त शिकायत पर दिनांक 28.09.2025 गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी रामनिवास हैड कानि. पुलिस थाना रानौली जिला सीकर द्वारा परिवादी के भतिजे की मदद करने की एवज में 15,000/- रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 03.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी से आरोपी रामनिवास हैड कानि द्वारा रिश्वती राशि थाने के बाहर ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख ली। आरोपी से रिश्वत राशि 15,000/- रुपये बरामद हो चुकी है।

जिस पर ए.सी.बी. जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झुंझुनूं के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही जारी है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।